REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
E-5 Paryavaran Parisar Arera Colony Bhopal – 16
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

Outward No. 2709RO /PCB/BPL/2020/NGT-73 Bhopal, Dated 06 / 10 / 2020

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi

Sub: Joint Visit Report In Compliance Of Order Dated 22.09.2020 IN NGT Case No 73/2020 Kunwar Mohd. Ali Tajwar & ANR V/s State of M.P. & Ors.

Ref: HO Letter No. 739 Dated 31.08.2020

Please find enclosed herewith desired joint visit report in compliance of order dated 22.09.2020 in NGT case no 73/2020 Kunwar Mohd. Ali Tajwar & ANR V/s State of M.P. & Ors. report for necessary action please.

Encl: As above (Total Page- 20)

(Alok Singhai)
Regional Officer

Outward No. RO /PCB/BPL/2020/NGT-73 Bhopal, Dated / / 2020
Copy to:-

1. District Collector, Bhopal for information & necessary action please.
2. Commissioner, Municipal Corporation, Bhopal for information & necessary action please.
3. Member Secretary. M.P. Pollution Control Board, for information please.
4. Legal Officer, M.P. Pollution Control Board, Bhopal for information & necessary action please.

(Alok Singhai)
Regional Officer

Inspection Report

Subject: - Compliance of order dated 25.08.2020 issued by Hon'ble NGT in OA no. 73/2020 (CZ)

Order dated 25.08.2020 issued by Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi in case no. 73/2020 reads as under:-

"The issue involved in this application is pollution of water of Lower lake which is known as Chota Talab situated in the heart of the city of Bhopal and pouring the mud balls filled with hazardous chemicals in the lower lake so as kill the existing fishes instantly and fetch huge quantity of fishes for selling it in the open market. We deem it just and proper to constitute a committee consisting (i) Collector Bhopal,(ii) Municipal Corporation Bhopal and (iii) Madhya Pradesh Pollution Control Board and to direct to submit a factual and action taken report with regard to allegations, made in the present application. Report be submitted within Six weeks. Madhya Pradesh PCB will be the nodal agency for compliance. "

In compliance of above NGT order dated 25.08.2020 joint inspection was conducted by Shri Santosh Gupta (City Engineer), Lake Conservation Section, Municipal Corporation Bhopal (BMC) Shri Alok Singhai Regional Officer MP Pollution Control Board Bhopal, Shri Devendra Choudhari Tehsildar (City), Bhopal representative of Collector Bhopal/SDM City on dated 22.09.2020 in presence of Shri Kailash Raikwar applicant in this case Letters related to constitute a committee is as per **(Annexure – 1a, 1b, 1c)** During inspection, Shri A.K. Bisen (Executive Engineer) Regional Office, MPPCB Bhopal, Shri M.M. Qureshi, Scientist ROMPPCB Bhopal, Smt. Jyoti Mankele Sub Engineer BMC Bhopal were also present

Lower Lake (famously known as Chhota Talab), situated in the heart of City is in ownership of the Bhopal Municipal Corporation (BMC). The BMC had an agreement dated 31.07.2010 to lease out this water body to M/s Adarsh Matsyodhyog Sehkari Sanstha Maryadit Bhopal (Registration No. A.R.B./252/ dated 28.05.1986) for purposes carrying out fishing under the new Matsya Palan Neeti 2008 M.P. under, Matsye Kshetra Amendment Act 1981, Nadiye (Matsyodhyog) Act 1972 **(Annex -2)**.

Applicant in this case filed a complaint in January 2020 before Commissioner BMC, Bhopal that fisherman at lower lake are pouring the mud balls filled with medicine/chemicals in the lower lake so as to kill the existing fishes instantly and fetch huge quantity of fishes. This complaint was investigated on 10.01.2020 by Chief Engineer (Water works) BMC Bhopal with his staff and sub inspector of Jahagirabad Police Station Bhopal. Copy of Panchnama is enclosed as **Annexure – 3**. BMC, Bhopal sent seized mud balls vide letter dated 14.01.2020 for analysis to CSIR- Indian Institute of Toxicology Research Lucknow (U.P.) **Annexure – 4** Copy of Analyses report provided by Nagar Nigam Bhopal during inspection (letter no. 208/09.06.2020) is enclosed as **Annexure – 5**.

1. BMC Bhopal had an agreement dated 31.07.2010 to lease out this water body to M/s Adarsh Matsyodhyog Sehkari Sanstha Maryadit Bhopal M.P. for purposes carrying out fishing which was valid till 31.07.2020 and hence during inspection no fishing activity was found.

2. Shri Kailash Raikwar informed that in January 2020 he observed that fishing boat was filled with big size mud balls and on enquiry fisherman informed mud balls are filled with medicine/chemical to catch unconscious fishes in large quantity, kill the existing fishes instantly and fetch huge quantity of fishes.

3. Water of lower lake is not used for drinking purpose. Lower lake is at present at full tank level and numbers sewage drain and rain water drain are joining it, fisheries culture is main activity associated with this lake.

4. Water Sample of lower lake collected near Khatlapura & in the back side of Hamidia collage (Site from where mud balls seized on 10.01.2020) analysis report is as per **Annexure – 6**.

RECOMMENDATIONS

1. Lower lake was lease out by Bhopal Municipal Corporation (BMC) for fishing purpose. BMC had an agreement dated 31.07.2010 to lease out this water body to M/s Adarsh Matsyodhyog Sehkari Sanstha Maryadit Bhopal for purposes of carrying out fishing under the new Matsya Palan Neeti 2008 of M.P. with certain conditions. At first instant it is clear that associated fisheries society has violated conditions no. 17 of lease agreement dated 31.07.2010, So BMC Bhopal shall take necessary action for violation of conditions of lease agreement.

2. Deputy/Assistant Director, Fisheries Department, Bhopal shall take necessary action against fisheries society involved in this case, like not being permitted to carry out fishing activities at lower lake or any other lake as they have caused loss to the environment by polluting the water body.

3. Environment Compensation Charge shall be levied on the Adarsh Matsyudyog Sehkarti Samiti maryadit bhopal for a period of seven months starting from the date on which the mud balls were seized by the Municipal Corporation Bhopal till the date of expiry of contract i.e. from 10.01.2020 till 31.07.2020.

Enclosure: Photographs of site inspection.

Jameel Khan (SDM)
City, Bhopal

Santosh Gupta (City Engineer)
Lake Conservation Division, Bhopal

Alok Singhai (Regional Officer)
Regional Office, Bhopal

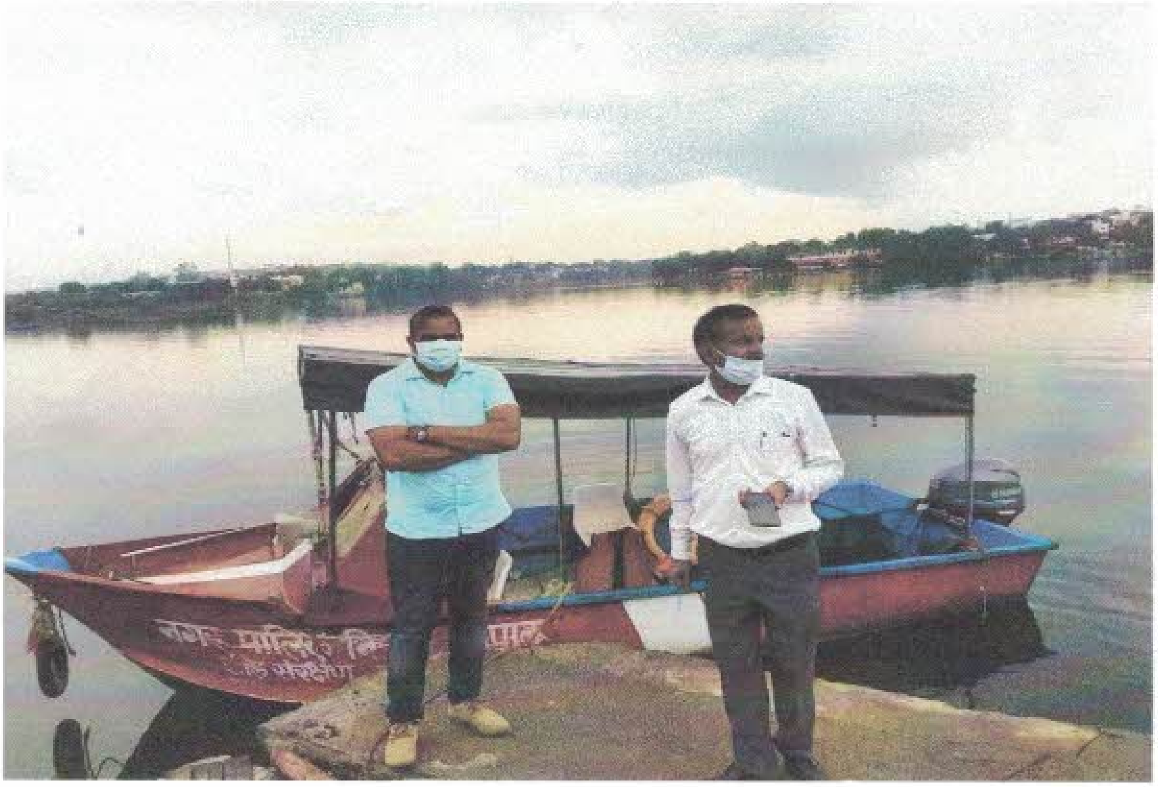

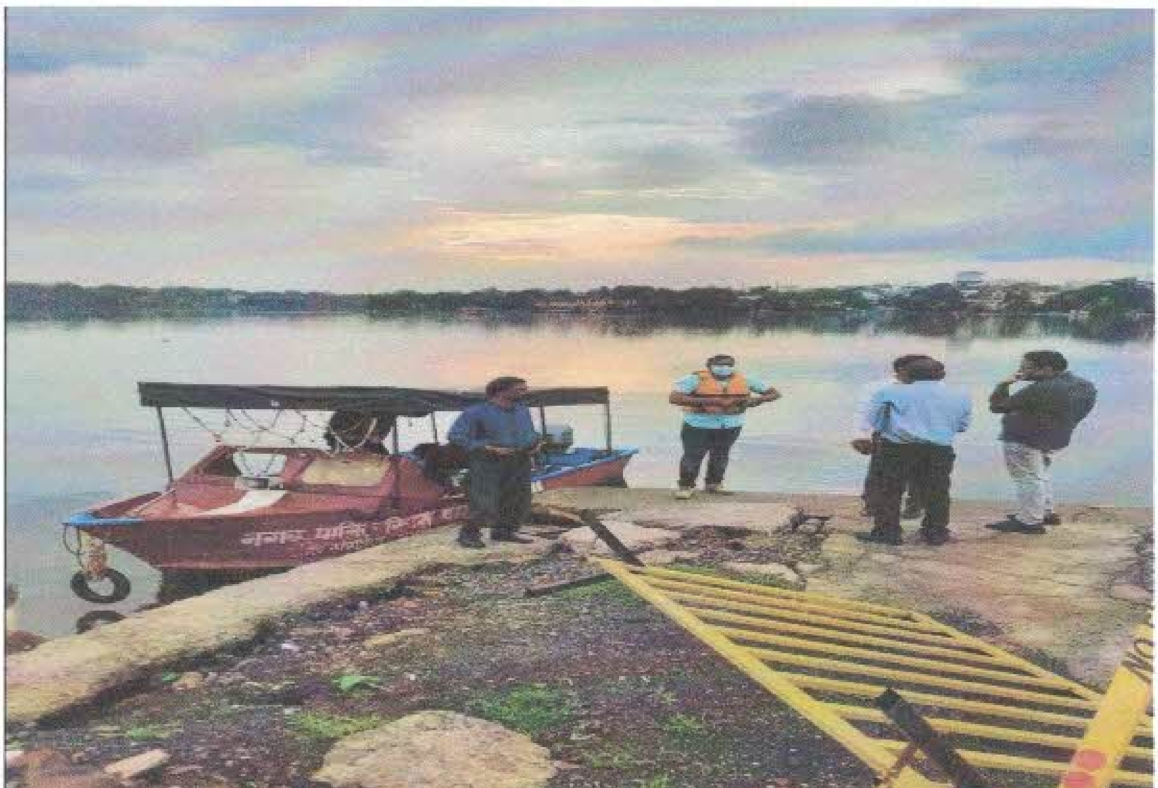

Inspection of Lower Lake, Bhopal on 22/9/2020
by committee consist of BMC, MPPCB, District
Administrative in the Presence of applicant.

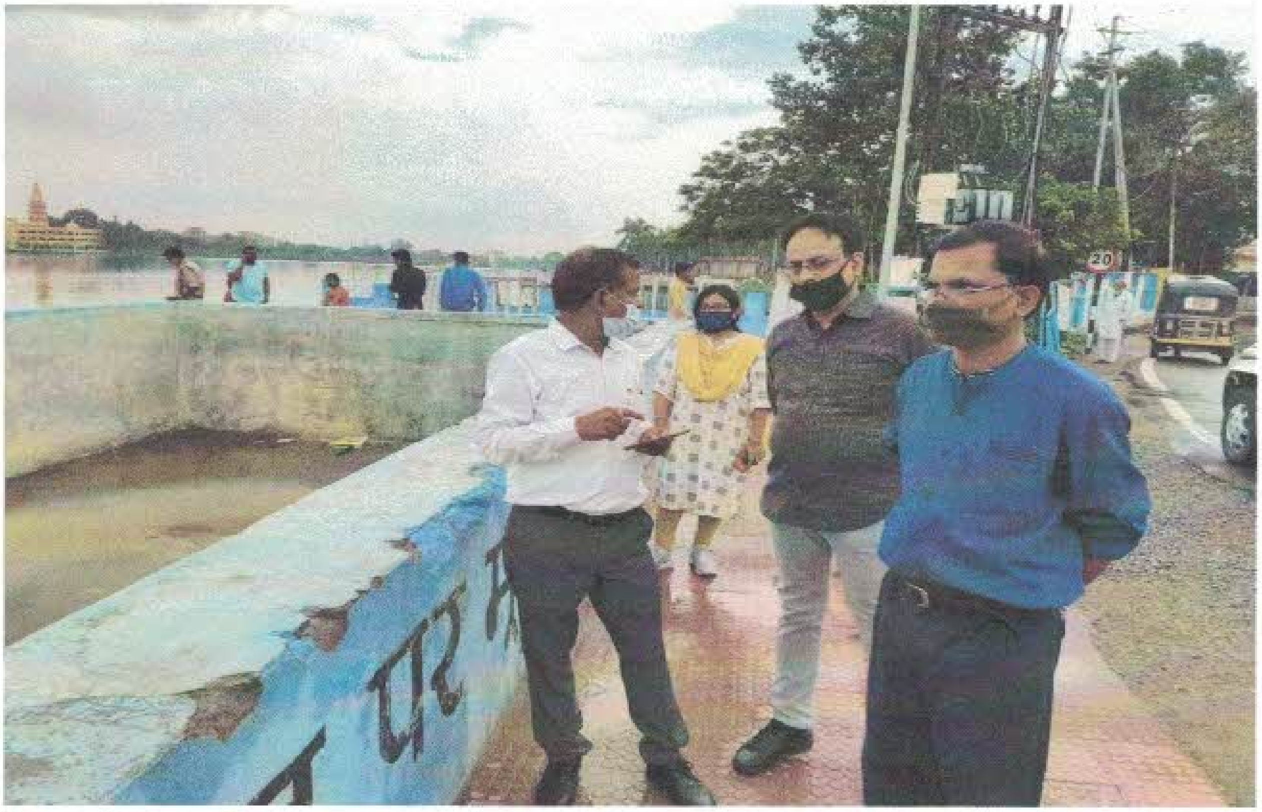

Inspection and water monitoring of Lower Lake on dt 22.9.202
in the presence of applicant by committee.

Annexure -1

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

Phone -0755-2466392, Fax- 0755- 4278342 E-Mail- romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 2408 / क्षेका / प्रनिबो / एनजीटी–73 / 2020 भोपाल, दिनांक 8/9/2020

प्रति,

1. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर
   भोपाल (म.प्र.)
2. आयुक्त,
   नगर पालिक निगम
   भोपाल (म.प्र.)

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 73 / 2020 द्वारा दिनांक 25.08.2020 को पारित आदेश के अनुपालन बावत्।

संदर्भः– बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्र. 739 दिनांक 31.08.2020।

माननीय् राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्रमांक 73 / 2020 (कुँवर मोहम्द अली ताजवार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.08.2020 को पारित आदेश की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। उक्त आदेश के परिपालन में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं कलेक्टर भोपाल व कनिश्नर, नगर निगम, भोपाल के साथ संयुक्त रूप से समन्यव कर वास्तविक स्थिति की जांच हेतु स्थल निरीक्षण कर एक्शन टेकन रिपोर्ट दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जांच हेतु आपके विभाग से एक अधिकारी को नामांकित कर (अधिकारी नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर सहित) 07 दिवस के अंदर इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें, जिससे शीघ्रातिशीघ्र जांच कर एक्शन टेकन रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(आलोक सिंघई)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ.क्रमांक 2409 / क्षेका / प्रनिबो / एनजीटी–73 / 2020 भोपाल, दिनांक 8/9/2020

प्रतिलिपिः–

सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(आलोक सिंघई)
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure - 1b

कार्यालय नगर निगम,भोपाल

विधि विभाग

क्रमांक / / वि.वि. / 2020 भोपाल,दिनांक / / 2020

प्रति,

श्री संतोष गुप्ता,
नगर यंत्री (झील संरक्षण प्रकोष्ठ)
एवं प्रकरण प्रभारी अधिकारी,
नगर निगम,भोपाल। (मो.नं. 9424499827)

R.O. M.P.P.C.B. Received 2761 16/9/20

विषयः— माननीय एन.जी.टी. (सेण्ट्रल जोनल बेंच,भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.नं 73/2020 (CZ) कुंवर मोहम्मद अली ताजवर एव श्री कैलाश रैकवार सचिव, नव ज्योति महुआ सामाजिक संगठन विरूद्ध फिशरमैन वेलफेयर एड़ फिशरीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आयुक्त नगर निगम,भोपाल,आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित व अन्य । (छोटा तालाब में खतरनाक रसायनों युक्त मिट्टी के गोले डालना मानव के साथ जलीय प्राणियों को नुकसान)

संदर्भः— क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र क्र.2408 / क्षेका / प्रनिबो / एनजीटी–73 / 2020 भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2020

::::::::::

विषयांतर्गत, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेण्ट्रल जोनल बेंच,भोपाल में विचाराधीन संबंधित प्रकरण में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आप प्रभारी अधिकारी नियुक्त है।इसमें आगामी तिथि 12.10.2020 नियत है।

संदर्भित पत्रानुसार केस में आर्डर 25.08.2020 के अनुपालन में स्थल निरीक्षण एवं एक्शन टेकन रिर्पोट 30.09.2020 तक तैयार कर एन.जी.टी. में प्रस्तुत किया जाना है।अतः इस बाबत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार ।

उपायुक्त,विधि
नगर निगम, भोपाल

पृ.क्रमांक / 21 / वि.वि. / 2020 भोपाल,दिनांक 14/09/2020

प्रतिलिपिः —

1. आयुक्त महोदय की ओर उनके निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
2. अपर आयुक्त (विधि / झील संरक्षण प्रकोष्ठ) की ओर सूचनार्थ।
3. श्री. ओम शंकर श्रीवास्तव, अधिवक्ता,आर–52 श्री शिवलोक परिसर तृतीय तल,एम.पी. नगर,जोन–2,भोपाल मों.नं.7869911990 की ओर सूचनार्थ।
4. श्री आलोक सिंघई, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कॉलोनी की ओर आपके संदर्भित पत्र क्र.2408 / क्षेका / प्रनिबो / एनजीटी–73 / 2020 भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2020 के तारतम्य मे सूचनार्थ।

उपायुक्त,विधि
नगर निगम, भोपाल

ohan-17

Annexure I-C

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल

क्रमांक 380 /अजिदं/कार्या. नस्ती/2020 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2020

प्रति,

श्री आलोक सिंघई,
क्षेत्रीय अधिकारी,
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।

विषय – अधिकारी को नामांकित करने करने के संबंध में।

संदर्भ – आपका पत्र कमांक 2408/एनजीटी–73/2020 दिनांक 08.09.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलेक्टर भोपाल एवं कमिश्नर नगर निगम भोपाल के साथ संयुक्त रूप से समन्वय कर वास्तविक स्थिति की जॉच एवं स्थल निरीक्षण कर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निम्न अधिकारी को नामांकित किया जाता है –

अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
श्री जमील खान	अनुविभागीय दण्डाधिकारी नजूल शहर वृत्त भोपाल	9425493825

14/09/2020

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
भोपाल

पृ0क0 381 /अजिदं/कार्या. नस्ती/2020 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि

श्री जमील खान, अनुविभागीय दण्डाधिकारी नजूल शहर वृत्त, भोपाल की संदर्भित पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
भोपाल

Annexure - 2

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RU[illegible]

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

M 978472

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

जलाशय पट्टे पर देने हेतु अनुबंध

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक 31/07/2010 को आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा प्राधिकृत शंकर विश्वास जोनल अधिकारी नगर निगम भोपाल जिसे प्रथम पक्षकार माना गया है [illegible] पुली नम्बर 02 मोईपुरा एवं श्री [illegible] आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल पंजीयन बुधवारा भोपाल अध्यक्ष, आदर्श [illegible] संकल्प क्र0–04 दि0 क्रमांक ए0आर0बी0/252 दि0 28/[illegible] के अनुसार आदर्श मत्स्योद्योग [illegible] भोईपुरा भोपाल को छोटा तालाब 29/07/2010 के अनुसार [illegible] 10 वर्ष की लीज पर अर्थात दि0 जिसका जलक्षेत्र 175 हेक्टेयर है [illegible] 31/07/2020 तक निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत एवं नवीन मत्स्य पालन पालन नीति 2008 की संलग्नित निर्देशों के तहत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है

1. उक्त पट्टे के लिए प्रारंभिक वार्षिक पट्टा राशि नवीन नीति अनुसार [illegible] प्रति हेक्टेयर के मान से रु0 26250/- (शब्दों में छब्बीस हजार दो सौ पचास मात्र) जोकि प्रथम पक्षकार द्वारा रसीद क्र0 2813/89 दिनांक 31/7/2010 द्वारा जमा की गई।

2. द्वितीय पक्षकार को उक्त तालाब/जलक्षेत्र के लिए प्रारंभिक वार्षिक पट्टा राशि में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष प्रथम पक्षकार को देय होगी।

3. म0प्र0 नदीय (मत्स्योद्योग) नियम 1972 के प्रावधान अन्तर्गत निर्दिष्ट जलक्षेत्र में प्रतिवर्ष मत्स्याखेट दिनांक 16/ जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेगा।

4. पट्टा धारक को शासन द्वारा बनाये [illegible] नियमों एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित शर्तों/समय–समय पर आवश्यकता अनुसार पट्टे की शर्तों में किये गये संशोधनों का पालन करना होगा।

[signature] अध्यक्ष
[illegible] भोईपुरा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था
[illegible] आर.बी./252

(53)

... स्थानीय एवं 3 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में स्थित होना एवं सदस्यों ... मछली पालन संबंधी कार्य में संलग्न होना अनिवार्य है।

... मछली को निकालते समय छोटी मछलियों को निकालने का अधिकार नहीं होगा। छोटी मछलियों का वजन एवं आकार का निर्धारण जिन्हे निकालने की अनुमति नहीं होगी संचालनालय मत्स्योद्योग एवं नगर निगम भोपाल के प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

7. तालाब का मत्स्योद्योग के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग नही किया जा सकेगा।

8. मछली पकड़ने हेतु मोटर बोट का उपयोग नही किया जा सकेगा।

9. मछलियों की लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु चार पहिया वाहन तालाब के निकट न लाया जावे।

10. पट्टेदार/नगर निगम भोपाल के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर पूर्णतः प्रकरण प्रशासक/महापौर को प्रस्तुत किया जावेगा एवं प्रशासक/महापौर का निर्णय दोनों पक्षो के लिये बंधनकारी होगा।

11. मछली पकडने हेतु उपयोग कि ... जाने वाले जाल का साईज 2X2 (50 एम.एम x 50 एम.एम) से किसी भी रूप से कम नही होना चाहिये। ताकि प्रारंभ कार्य जो कि तालाब मे प्रत्यारोपित किये गये उनको हानि न हो।

12. तालाब में मछली विकास कार्यक्रमों के लिये नगर निगम भोपाल द्वारा दिये गये सुझावो का पालन करना आवश्यक होगा।

13. मछुआ सहकारी समिति उपलब्ध न होने की स्थिति में तालाब को पट्टे पर देने के पूर्व मत्स्योद्योग विभाग से समिति की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।

14. तालाब का जलस्तर किसी प्राकृतिककरण वश कम हो जाने अर्थात तालाब के बिल्कुल सूख जाने जा उसके बांध के ऊपर पानी बहजाने अथवा किसी भी कारण से तालाब मे संचित मछलियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण यदि कोई हानि होती है, तो उसकी पूर्ति के लिये नगर निगम का कोई दायित्व नही होगा, ना ही पट्टा राशि के भुगतान मे किसी प्रकार की छूट दी जावेगी।

15. पट्टे की अवधि समाप्त होने पर या अवधि के पहले ही उसे शर्तों के अधीन समाप्त किया जाने पर तालाब का कब्जा नगर निगम को उसी स्थिति मे देना अनिवार्य होगा जैसा कि पट्टेदार द्वारा प्राप्त किया गया था तथा उस समय यदि कोई मछली होगी तो उसके लिये वह क्षतिपूर्ति के लिये हकदार नही होगा।

16. तालाब मे संचित मछली बीज तालाब मे उत्पादित मछली, विक्रय की गई मछली एवं सदस्यों को वितरित लाभ का संपूर्ण लेखा जोखा निर्धारित पंजी मे नियमित रूप से रखेगा तथा नगर निगम एवं मछली पालन विभाग के अधिकारियों को उनके निरीक्षण के समय दिखाने के लिये बाध्य होगा।

17. तालाब में विषेली वस्तु, विस्फोटक तथा अन्य प्रदूषण कारक वस्तु का उपयोग नही

अध्यक्ष
आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था

(5)

अथवा मत्स्याखेट हेतु वर्जित स्थलों की परिधि में तालाब के धार्मिक घाट, सार्वजनिक मत्स्याखेट नहीं करेगा।

तालाब का पटटा अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा किया जाता है तो तालाब का पटटा निरस्त किया जा सकेगा।

तालाब से उत्पादित मछली का कम से कम 20 प्रतिशत भाग स्थानीय उपभोक्ताओं के लिये मर्यादित दर पर उपलब्ध करायेगा।

आवेदक संस्था को पटटा प्राप्त होने पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रावधान अनुसार स्टाम्प डयूटी देय होगी एवं नियमानुसार अनुबंध का पंजीयन कराना होगा।

पटटे पर दिये जाने वाले तालाब की प्रथम वर्ष की पटटा राशि पटटाधारक द्वारा अनुबंध निष्पादन के पूर्व जमा करनी होगी। आगामी वर्षों में पटटा राशि 01/अप्रैल से 30 जून की अवधि में जमा करनी होगी। आगामी वर्ष के लिये निर्धारित समय अवधि में पटटा राशि जमा नहीं करता है तो चूक अवधि के लिये देय पटटा राशि पर 2.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा, किन्तु यह अवधि 02 माह से अधिक नहीं होगी अन्यथा 15 दिवस का नोटिस देकर पटटा समाप्त किया जा सकेगा।

23. तालाब की साफ–सफाई तथा जलकुम्भी आदि की सफाई भी पटटाधारी को नियमित रूप से स्वंय के व्यय से करना होगा।

24. तालाब की लीज को सार्वजनिक हित में देखते हुये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर निगम भोपाल को होगा।

25. पटटाधारक मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन अधिनियम 1981) एवं नदीय(मत्स्योद्योग) नियम 1972 के अनुसार नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।

26. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में आयुक्त नगर निगम भोपाल को समिति की लीज समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है एवं मुझे समस्त शर्ते मान्य हैं।

आज दिनांक 31/7/2010 को निम्न साक्ष्यगणों की उपस्थिति में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किये :–

गवाह :– (1) [signature]

नाम ....

पता ....

प्रथम पक्षकार 31/7/10
(आयुक्त/सक्षम प्राधिकृत अधिकारी)
जोन अधिकारी
नगर निगम भोपाल
जोन क्रमांक 05
नगर निगम, भोपाल

अध्यक्ष
आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था
मर्यादित, भोपाल (पं.क्रं./ए.आर.बी./252)

द्वितीय पक्षकार

गवाह :– (2) [signature]

नाम ....

श्री राकेश पाथम
अध्यक्ष आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी समिति भोईपुरा
आ0 स्व0 श्री सत्यनारायण

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल—505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313] भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 अक्टूबर 1981—आश्विन 15, शके 1903

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 1981

क्र. 23905-इक्कीस-अ(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 अक्टूबर 1981 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवनारायण जौहरी, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३४ सन् १९८१.

मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, १९८१

[दिनांक ५ अक्टूबर १९८१ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक ७ अक्टूबर, १९८१ को प्रथमबार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश फिशरीज एक्ट, १९४८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, १९८१ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश फिशरीज एक्ट, १९४८ (क्रमांक ८ सन् १९४८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

(क) उपधारा (३) में, खण्ड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"(च) राज्य के भीतर या राज्य के बाहर मत्स्य के विहित परिमाण से अधिक के विक्रय या क्रय को या मत्स्य के परिवहन या संचलन को, उस स्थिति में के सिवाय जब कि वह अनुज्ञप्ति के अधीन किया जाता है, प्रतिषिद्ध कर सकेंगे;

(छ) उन कालों को विहित कर सकेंगे जिनके दौरान—

(एक) किसी विहित जाति के मत्स्य का मारना या पकड़ना प्रतिषिद्ध होगा;

(दो) किसी विहित जाति के मत्स्य का विक्रय, संचलन या परिवहन उस स्थिति में के सिवाय जब कि वह अनुज्ञप्ति के अधीन किया जाता है, प्रतिषिद्ध होगा;

(घघघ) खण्ड (घ) के और खण्ड (चच) के उपखण्ड (दो) के अधीन अनुज्ञप्तियों की मंजूरी और/या उनके लिए देय फीस तथा उनसे संलग्न की जाने वाली शर्तों का विनियमन कर सकेंगे; और".

(ख) उपधारा (५) में, खण्ड (ए) और (बी) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जायं, अर्थात्:—

"(क) किसी स्थिर इंजन, साधित्र या उपस्कर के, जो मत्स्य पकड़ने के लिए इन नियमों के उल्लंघन में लगाया गया हो या उपयोग में लाया गया हो, अभिग्रहण, उसके हटाये जाने और उसके समपहरण के लिये;

(ख) किसी ऐसे मत्स्य के समपहरण के लिए जो किसी ऐसे स्थिर इंजन, साधित्र या उपस्कर द्वारा उपाप्त किये गये हों अथवा जिनका परिवहन इन नियमों के उल्लंघन में किया गया हो; और

(ग) इन नियमों के उल्लंघन में मत्स्य का परिवहन करने या उन्हें पकड़ने के लिए उपयोग में लाये गये किन्हीं पशुओं, गाड़ियों (कार्ट), जलयानों, बेड़ों (रेफ्ट्स), नौकाओं या यानों के अभिग्रहण, उनके हटाये जाने और उनके समपहरण के लिये.".

धारा ५ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं स्थापित की जायं, अर्थात्:—

शास्तियां.

"५. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह, दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

अपराध का संज्ञान.

५-क. इस अधिनियम के अधीन का प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा.".

धारा ६ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६ में,—

(क) उपधारा (२) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"परन्तु इस प्रकार गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) के उपबन्धों के अनुसार उसके निरोध के लिये मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के अधीन के सिवाय, उतने समय से अधिक समय के लिये निरुद्ध नहीं रखा जायगा जितना कि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे उपस्थित करने के लिए आवश्यक हो.";

(ख) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय, अर्थात्:—

"(३) समस्त मत्स्य अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध के संबंध में तलाशी, अभिग्रहण और अन्वेषण की वही शक्तियां होंगी जो उपनिरीक्षक की पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) के उपबन्धों के अधीन होती हैं.".

धारा ८ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय, अर्थात्:—

"(१) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का शमन कलक्टर द्वारा, एक हजार रुपये से अनधिक कोई राशि प्रतिगृहीत करके किया जा सकेगा.".

अनुसूची का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की अनुसूची में, प्रविष्टि ४ के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायं, अर्थात्:—

"४-क. किसी प्रतिषिद्ध जाति के मत्स्य का निषेध काल (क्लोज सीजन) के दौरान परिवहन या परिवहन करने का प्रयास जो नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और उनके अनुसार न किया जाकर अन्यथा किया जाता है;

४-ख. मत्स्य का विहित परिमाप से अधिक [illegible] परिवहन या परिवहन करने का प्रयास जो नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और उनके अनुसार न किया जाकर अन्यथा किया जाता है.".

निरसन.

७. मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, १९८१ (क्रमांक ११ सन् १९८१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

Annexure - 3

स्थल पंचनामा

आज दिनांक को 10/01/2020 को श्री ए. आर. पवार प्रभारी मुख्य अभियंता जलकार्य, श्री टी.सी. पाठया नगर यंत्री जलकार्य, गौरव परमार सहायक यंत्री जलकार्य नगर निगम भोपाल, श्री आर के सोढ उपनिरिक्षक थाना जहांगीराबाद के साथ छोटे तालाब का निरिक्षण किया गया एवं हमिदिया कालेज बाउन्ड्री के पास तालाब मे एक नाव रजिस्ट्रेशन न. "आदर्श समिति 85" श्री मालिक श्री जीतु बाथम s/o स्व. श्री दौलतराम बाथम निवासी 24 मोरपुरा बुधवारा की नाव मे मिट्टी के गौने बरामद किये गये।

(A. R. Pawar)

Jeetu
श्री जीतु बाथम

10/1/2020
SI - आर० के० सिंह
थाना - जहांगीराबाद
भोपाल

श्री रुपेश बाथम
(9826265330)

10/01/2020
Gaurav Parmar
Nagar Nigam Bhopal

10/01/2020
T. C. Pathya
BMC

कार्यालय नगर निगम, भोपाल
मुख्य अभियंता (जलकार्य)
हर्षवर्धन शापिंग काम्पलेक्स, फेस-1 माता मंदिर, भोपाल
कार्या.दूरभाष क्रं.-0755-2701666 फैक्स क्र.-0755-2701666
E-mail-pmjnbmc@gmail.com

Annexure -4

क्रमांक 136 /प्र.मु.अ./ज.का.वि./न.नि./2020 भोपाल दिनांक 15/1/20

प्रति,

प्रमुख आर.पी.बी.डी.,
सी.एस.आई.आर.,
भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान,
लखनऊ (उ0प्र0)

विषय :-नगर निगम, भोपाल द्वारा संकलित मिट्टी के नमूनों के परीक्षण बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम, भोपाल द्वारा मिट्टी के (गोले) नमूने संकलित किये गये है, जिनका उपयोग स्थानीय मछुआरों द्वारा भोपाल शहर में स्थित तालाबों में मछली पकड़ने हेतु किया जाता है।

आयुक्त, नगर निगम, भोपाल द्वारा उक्त संकलित मिट्टी के नमूनों के परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया है। अतः संकलित मिट्टी के (गोले) नमूनों को आपकी ओर परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है जिससे परीक्षण उपरांत इस निर्णय पर पहुंचा जा सके, कि क्या उक्त संकलित नमूनों में किसी प्रकार के घातक रसायन है, जो कि मिट्टी, पानी जलीय जन्तु एवं मनुष्य एवं व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है। परीक्षण हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क का मांग पत्र प्रेषित किया जाये, ताकि संस्थान को तत्काल भुगतान किया जाना संभव हो सके।

प्रभारी मुख्य अभियंता
(जलकार्य)
नगर निगम, भोपाल

पृ.क्रमांक............./प्र.मु.अ./ज.का.वि./न.नि./2020 भोपाल दिनांक.........

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त, नगर निगम, भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर आयुक्त (जलकार्य), नगर निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री [illegible] एवं श्री छगन लाल गौर, नगर निगम, भोपाल की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी मुख्य अभियंता
(जलकार्य)
नगर निगम, भोपाल

Chief Engg L

क्रमांक . 208   भोपाल दिनांक - 09-06-2020   Annexure -5

प्रति,

प्रभारी झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल,

विषय :- लोवर लेक से प्राप्त मिट्टी के गोलों की जाँच, सी.एस.आई.आर. भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश।

—x—

उपरोक्त विषय मे लेख है कि लोवर लेक से प्राप्त मिट्टी के गोलो को परीक्षण हेतु भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश दिनांक 14-01-2020 को लिया गया था एवं उक्त मिट्टी के गोलों को सी.एस.आई.आर. संस्थान मे परीक्षण हेतु दिया गया था।

उक्त मिट्टी के गोलों की परीक्षण रिपोर्ट सी.एस.आई.आर. भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान लखनऊ के द्वारा प्राप्त हो गयी है। उक्त पैरामीटर जो परीक्षण किये गये है, सभी पैरामीटर में उक्त धातुओं एवं क्लोरीन की मात्रा अत्याधिक पाई गयी है। जो कि मानक एवं जलीय प्राणियों के लिए नुकशानदायक प्रतीत होती है, तथा उक्त परीक्षण रिपोर्ट भारतीय मानक के अनुरूप नहीं है।

478
5/6/2020

अतः आपकी ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

CHEMIST,
S M G.D. W/T. PLANT
Nagar Nigam, BHOPAL

संलग्न :- (1) सी.एस.आई.आर की परीक्षण रिपोर्ट
(2) भारतीय मानक थ्योरी की फोटोकापी

सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH
विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226001, उ.प्र., भारत
VISHVIGYAN BHAWAN, 31, MAHATMA GANDHI MARG, LUCKNOW-226001, U.P., INDIA
Phone:+91-522-2628228, 2627586, 2614118, Fax:+91-522-2628227, 2611547 rpbd@iitrindia.org www.iitrindia.org

सीएसआईआर-आईआईटीआर/आरपीबीडी/7/2020
दिनॉक: 13.5.2020

प्रभारी मुख्य अभियंता
(जलकार्य)
नगर निगम, हर्षवर्धन शापिंग कॉम्प्लेक्स
फेस -1, माता मंदिर
भोपाल -462030

Subject: Analysis report of soil samples

Report No.	टी एस-3017 (I, II, III)
Signed by	डॉ एस पटनायक एवं डॉ डी के पटेल
Your reference no.	पत्र न0 136/प्र0मु0अ0/ज0का0वि0/न0नि0/2020 दिनांक 1.1.2020
Sample collected by	Nagar Nigam staff*
Sample plan and procedure	As per norms*
Date of sampling	14.1.2020*
Environmental condition during sampling	Clear*
Sample delivered on	27.1.2020*
Sample condition	Unsealed*
Source of sampling	Different places of Lake, Bhopal*

Project Manager JNNURM No. 770 Dt. 27.5.2020 Municipal Corporation, Bhopal

Dear Sir,

Please find enclosed the analysis report of your sample. Your reference number for each sample is matched with our internal IITR Code No. as follows:

DN- 970 27-5-2020

Your sample(s) reference no.	IITR Code No.
Soil from Lower Lake (Cyanide Chlorine, Lead, Arsenic and Mercury)	TS-3017 (I)
Soil from Lower Lake (Cyanide, Chlorine, Lead, Mercury and Arsenic)	TS-3017 (II)
Soil from Uppar Lake (Cyanide, Chlorine, Lead, Mercury and Arsenic)	TS-3017 (III)

Kindly acknowledge the receipt of the report.

Yours faithfully
13/5/2020
(Head, RPBD)

Encl: As above

*Information provided by the customer

PS: Please return the enclosed Customer Satisfaction Feed Back form duly filled in by you.

CSIR - INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH
VISHVIGYAN BHAWAN, 31 MAHATMA GANDHI MARG,
POST BOX NO. 80 LUCKNOW-226001 U.P. (INDIA)
(Constituent Laboratory of C.S.I.R.)

Date: 09.03.2020

ANALYSIS REPORT

1. Sample Registry No. : TS-3017 (I, II, III)
   I-Soil from Lower Lake
   II-Soil from Lower Lake
   III-Soil from Upper Lake
2. Nature of Sample : Soil from Lake
3. Sealed/Unsealed : Unsealed
4. Date of Receipt : 27.01.2020
5. Date of Analysis : 20/02/2020 and 05/03/2020
6. Results :

S No.	Name of metals	Concentration in mg/kg		
		I	II	III
1	Lead*	14.545	11.915	7.376
2	Arsenic**	0.041	0.037	0.038
3	Mercury#	0.023	0.018	0.023

Instrument used for analysis *AAS, PinAAcle 900F
**AAS, PinAAcle 900F, Perkin Elmer (FIAS)
DMA-80 (Milestone)

0.01 [illegible]
0.01 – 0.05
0.001 [illegible]

Lead = 3.4 ug

1. The report pertains to the sample tested only.
2. This report shall not be used or produced in fragments.
3. This report shall not be used for any other purpose than declared by the sponsor.
4. IITR is not ~~a~~ regulatory and certifying agency hence no part of this report should be used for legal purposes under any circumstances.

9/03/2020

(Dr D. K. Patel)
Senior Principal Scientist

Annexure - 6

CENTRAL LABORATORY
MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
PARYAWARAN PARISAR, E-5, ARERA COLONY, BHOPAL - 462 016
Phone : 0755- 2464428, 2466191 Fax : 0755-2463742 Email : cl_mppcb@rediffmail.com
Web site: www.mppcb.nic.in

No. 95 /Cent. Lab./MPPCB/2020 Bhopal, Dated 29/09/2020

To,

Regional Officer,
Regional Office,
M.P. Pollution Control Board,
Bhopal

M.P.P.C.B. 2836 29/9/2020

Sub : Regarding Analysis report.

Ref : Your Letter No. 2554 dated 23/09/2020

With reference to the above subject, please find enclosed here with analysis report.

Encl. As above.

(Dr. Reeta Kori)
Chief Scientific Officer

29.9.2020

Central Laboratory
M.P. Pollution Control Board, Bhopal [M.P.]
E/5, Arera Colony, Paryawaran Parisar, Bhopal – 462016

Test Report

Report No -52/1-2

Sample from : Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Bhopal.
Letter No. 2554 Dated 23/09/2020

Sample Description : Water Sample
1.Water sample of Lower Lake (Chhota Talab) Khatlapura
2.Water sample of Lower Lake Behind Hamidia College (Old MLB), Bhopal

Sample Container : Polyethelene & Glass Bottle

Sample Volume : 2x2 ltr, 2x 1 ltr, 2x300 ml &2x100ml.

Collected by : Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Bhopal.

Collected On: 22/09/2020

Received on : 23/09/2020

S. No.	Analyte Tested	Unit	Method No. APHA	1	2
1.	Colour	(Hazens)	-	70	100
2.	Appearance	-	-	Clear	Clear
3.	Odour	Threshold no	-	Odourless	Odourless
4.	pH	pH unit	4500-H+ B	7.29	7.75
5.	Conductivity	µmhos/cm	2510 B	380.9	390.1
6.	Turbidity	mg/l	2130 B	5.4	2.9
7.	Total Solids	mg/l	2540B	300	314
8.	Total Dissolved Solids	mg/l	2540C	266	272
9.	Suspended Solids	mg/l	2540D	34	42
10.	Chloride	mg/l	4500-Cl-B	29.56	28.57
11.	Dissolved Oxygen	mg/l	4500 - OC	0.8	2.4
12.	B.O.D.	mg/l	IS 3025 [Part 44]:1993 [First Revision]	4.8	7.6
13.	C.O.D.	mg/l	5220B	28.8	48
14.	Alkalinity	mg/l	2320 B	136	144
15.	Total Hardness	mg/l	2340 C	152	156
16.	Calcium Hardness	mg/l	3500 CaB	104	106
17.	Magnesium Hardness	mg/l	2340 B	48	50
18.	Calcium(ca**)	mg/l	3500 CaB	41.64	42.45
19.	Magnesium(mg**)	mg/l	2340 B	11.6	12.14
20.	Ammonical Nitrogen	mg/l	4500-NH_3F	BDL	BDL
21.	Nitrite	mg/l	4500-NO_2 B	0.42	0.47
22.	Nitrate	mg/l	4500-NO_3 B	8.27	8.85
23.	Phosphate*	mg/l	4500- PD	1.45	1.36
24.	Sulphate	mg/l	4500 SO_4^{-2} E	27.15	19.94
25.	Flouride	mg/l	4500 - FD	0.42	0.27
26.	Sodium	mg/l	3500 Na B	8.95	9.08
27.	Potassium	mg/l	3500 K B	2.70	2.69
28.	Boron*	mg/l	4500-B B	BDL	BDL
29.	Copper*	mg/l	APHA, 23rd Edition, 2017	BDL	BDL
30.	Zinc*	mg/l		0.501	0.356
31.	Manganese*	mg/l		0.065	0.052
32.	Iron*	mg/l		0.183	0.149
33.	Nickel*	mg/l		BDL	BDL
34.	Lead*	mg/l		BDL	BDL
35.	Mercury*	ppb		BDL	BDL

Remark -*Parameter not covered in ISO 17025:2017 (NABL). BDL-Below Detectable Limit.
Zn -Detection Limit-0.015 ppm, Pb-Detection Limit- 0.015 ppm, Fe-Detection Limit- 0.005 ppm
Ni -Detection Limit- 0.006 ppm, Hg-Detection Limit- 0.1 ppb

Authorized Signatory